संख्या-311/2021/907रासनि/23-1-21-06रासनि/21

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 26 नवम्बर, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद शाहजहांपुर एवं लखनऊ के 19 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-1689सी/191सी/5054-मांग/2021-22/भाग-1, दिनांक 15.09.2021 एवं पत्र सं0-1753सी/191सी/5054/टीसी/21-22, दिनांक 17.09.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरणानुसार **जनपद शाहजहांपुर एवं लखनऊ के 19 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि** के सापेक्ष कुल रू0 5,52,60,000/- (रूपये पांच करोड़ बावन लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक कर लिया जाय । कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75,दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00"में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(3) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(5) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(7) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण-0024-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण (8225)-24-वृहत निर्माण कार्य" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-311/2021/907रासनि(1)/23-1-21, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश सं0-311/2021/907रासनि/23-1-21-06रासनि/21, दिनांक 26.11.2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	मार्ग यूनिक कोड	जनपद	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या	मूल स्वीकृत लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	84613	Shahjahapur	छूटी कड़ी के अन्तर्गत ग्राम बल्लिया में एन0एच0 24 रिलायंस पम्प से बल्लिया पम्प से बल्लिया आबादी का छूटा भाग का निर्माण कार्य।	98 /2021/242 रासनि/23–1–21–82 रासनि/20 दिनांक 17.03.2021	8.39	0.42	1.36	6.61	4.20
2	84941	Shahjahapur	ग्राम बाजपुर से ग्राम आलमपुर तक सम्पर्क मार्ग (छूटी कड़ी)	99 /2021/530 रासनि/23–1–21–102 रासनि/20 दिनांक 22.03.2021	75.99	3.80	6.22	65.97	38.00
3	84942	Shahjahapur	ग्राम गोरा रायपुर से सरैय्या तक सम्पर्क मार्ग।(छूटी कड़ी)	99 /2021/530 रासनि/23–1–21–102 रासनि/20 दि0 22.03.2021	107.76	5.39	2.65	99.72	53.88
4	84959	Shahjahapur	बरूआरा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	99 /2021/530 रासनि/23–1–21–102 रासनि/20 दि0 22.03.2021	72.54	3.63	3.55	65.36	36.27
5	84907	Shahjahapur	ग्राम ददिउरा से खानपुर वकाउल्ला प्रधान के घर तक मार्ग के नवनिर्माण।	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	48.02	2.40	6.86	38.76	24.01
6	84908	Shahjahapur	मो0 साहित्यपुरम कालोनी में निगोही मार्ग से राजीव सिंह के मकान तक मार्ग।	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	42.60	2.13	4.56	35.91	21.30
7	84909	Shahjahapur	ग्राम रसूलपुर चठिया में अरविन्द यादव के मन्दिर से गयादीन वर्मा व प्रजापति तथा अरविन्द पाल के मकान से दाताराम के मकान तक मार्ग।	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	24.75	1.24	2.24	21.27	12.38
8	84910	Shahjahapur	ग्राम रसूलपुर चठिया में ब्रहमदेव के सीन से कोटेदार के मकान तथा राजेन्द्र के मकान में डा0 पाल वाली गली तक मार्ग।	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	26.67	1.33	2.56	22.78	13.34
9	84911	Shahjahapur	ग्राम सतवां में निगोही मार्ग से सरदार सुखवीर सिंह के झाले तक मार्ग।	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	12.47	0.62	1.60	10.25	6.24
10	84912	Shahjahapur	शाहमतगंज गौटिया में राजेन्द्र पाल के घर के पास से शमशान होते हुये पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	33.12	1.66	3.77	27.69	16.56
11	84913	Shahjahapur	ग्राम जमुही में मुख्य मार्ग से देवस्थान तक सम्पर्क मार्ग।	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	108.92	5.45	2.21	101.26	54.46
12	84914	Shahjahapur	ग्राम शाहबाजनगर में श्रीमती चम्पा देवी (प्रधान) के धर तक मार्ग का निर्माण।	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	99.80	4.99	8.56	86.25	49.90
13	84915	Shahjahapur	ग्राम शाहबाजनगर में पोपराम के घर से मुख्य मार्ग तक निर्माण कार्य।	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	53.78	2.69	1.84	49.25	26.89
14	84916	Shahjahapur	ग्राम उदियापुर सम्पर्क मार्ग से बरमबाबा के स्थान तक सम्पर्क	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60	24.28	1.21	2.83	20.24	12.14

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र. सं.	मार्ग यूनिक कोड	जनपद	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या	मूल स्वीकृत लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			मार्ग।	रासनि/20 दि0 22.03.2021					
15	84917	Shahjahapur	ग्राम हथौड़िया से हड्डीमील चौराहा तक मार्ग के नवनिर्माण	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	72.87	3.64	11.62	57.61	36.44
16	84918	Shahjahapur	ग्राम हथौड़िया से लोधीपुर सम्पर्क मार्ग।	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	84.02	4.20	14.24	65.58	42.01
17	84919	Shahjahapur	ग्राम मानपुर गांव के पश्चिम से उदियापुर नहर तक सम्पर्क मार्ग।	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	88.64	4.43	12.10	72.11	44.32
18	84920	Shahjahapur	मोहम्मदी मुख्य मार्ग से सल्लिया माइनर होते हुये सल्लिया गांव तक सम्पर्क मार्ग।	100 /2021/ 483 रासनि/ 23–1–21–60 रासनि/20 दि0 22.03.2021	39.09	1.95	5.33	31.81	19.55
19	75007	Lucknow	माल इटौंजा मार्ग के कि0मी0 मार्ग के कि0मी0 12 से बसहरी घाट सेतु (गोमती नदी) के एप्रोच का सुरक्षात्मक कार्य	85/2020/376रासनि/23–1–20–56रासनि/20, दि0 31.06.2020	456.44	365.15	50.58	91.29	40.71
				योग					**552.60**

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।